



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2016/अग्रहायण 8, 1938

No. 820]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2016/AGRAHAYANA 8, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.1098(अ).—राष्ट्रपति मूल नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में, सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आवास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के अनुपूरक नियम 317-ख-5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनुपूरक नियम 317-ख-5 आवासों का वर्गीकरण – (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए कोई आवेदक नीचे सारणी के स्तंभ (1) में यथाउपदर्शित टाइप के आवास के आबंटन हेतु, उक्त स्तंभ के सामने स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के स्तर के अनुसार पात्र होगा :-

सारणी

आवास का टाइप	विद्यमान ग्रेड वेतन/मूल वेतन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
I	1300 रु., 1400 रु., 1600 रु., 1650 रु. और 1800 रु.	1

II	1900 रु., 2000 रु., 2400 रु. और 2800 रु.	2,3,4,5
III	4200 रु., 4600 रु. और 4800 रु.	6,7,8
IV	5400 रु. से 6600 रु.	9,10,11
IV(स्पै.)	6600 रु.	11
V-ए[डी III]	7600 रु. और 8000 रु.	12
V-बी[डीII]	8700 रु. और 8900 रु.	13, 13ए
VI-ए[सी II]	10000 रु.	14
VI-बी[सी I]	67000 रु. से 74999 रु.	15
VII	75000 रु. से 79999 रु.	16
VIII	80000 रु. और अधिक	17,18

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई आबंटिती नीचे सारणी के स्तंभ (1) में यथाउपदर्शित हॉस्टल आवास के आबंटन हेतु, उक्त स्तंभ के सामने स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के स्तर के अनुसार पात्र होगा :-

सारणी

हॉस्टल का टाइप	विद्यमान ग्रेड वेतन/मूल वेतन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
सिंगल स्यूट (रसोईघर रहित)	4200 रु. और अधिक	स्तर 6 और अधिक
सिंगल स्यूट (रसोईघर सहित)	4200 रु. और अधिक	स्तर 6 और अधिक
डबल स्यूट	5400 रु. और अधिक	स्तर 9 और अधिक
वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल	सभी महिला कर्मचारी, परिलब्धियों की सीमा के बिना पात्र होंगी	सभी महिला कर्मचारी, परिलब्धियों की सीमा के बिना पात्र होंगी

(3) विभिन्न टाइप के आवासों के लिए पूर्विकता की तारीख और प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने के लिए संगणना निम्नानुसार की जाएगी :

(क) टाइप I से टाइप IV आवासों के संबंध में पूर्विकता तारीख का अवधारण कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश की तारीख के आधार पर किया गया जाएगा और आवास के इस टाइप के लिए पात्रता का विनिश्चय वेतन मैट्रिक्स में आवेदक के स्तर के अनुसार किया जाएगा :

परंतु इस प्रवर्ग के अधीन किसी आवेदक को, उसकी पात्रता के टाइप से एक टाइप निम्न आवास हेतु बोली लगाने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(ख) ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट किसी आवेदक को, जिसने किसी विशिष्ट स्टेशन पर लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए सेवा की है, वर्ष की 1 जनवरी को ऐसे प्रत्येक 5 वर्षों के पूरा होने पर, प्रतीक्षा सूची में उसकी पूर्विकता तारीख की संगणना के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवा में उसके प्रवेश की तारीख से ऊपर एक वर्ष की वरीयता प्रदान की जाएगी ।

(ग) टाइप IV(स्पै.) और ऊपर के आवासों के संबंध में पूर्विकता तारीख का अवधारण उस तारीख के

आधार पर किया जाएगा, जिससे आवेदक, वेतन मैट्रिक्स में उसके स्तर के अनुसार आवास की टाइप के लिए निरंतर पात्र रहा है।

(घ) टाइप IV(स्पै.) और ऊपर के आवासों के लिए परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार में ली जाएगी, अर्थात् :-

- (i) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख एक समान है, वहां स्तर में उच्चतर स्तर वेतन वाला आवेदक प्रतीक्षा सूची में ज्येष्ठ होगा ;
- (ii) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख और स्तर में वेतन एक समान है, वहां वह आवेदक, जिसने केन्द्रीय सरकार की सेवा में पहले प्रवेश किया है प्रतीक्षा सूची में ज्येष्ठ होगा ; और
- (iii) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख, स्तर में वेतन और केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करने की तारीख एक समान है, वहां पहले सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक पर पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी।

(ङ) भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव के रैंक के आवेदकों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, दिल्ली में भारत सरकार की सेवा में उनके प्रवेश करने की तारीख के आधार पर, प्रत्येक सेवा के लिए प्रकाशित सिविल सूची के अनुसार किया जाएगा किंतु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि समान सेवा के कनिष्ठ बैच का कोई आवेदक या समान बैच का कोई कनिष्ठ आवेदक अपने ज्येष्ठ बैच के आवेदक या समान बैच के ज्येष्ठ आवेदक पर पूर्विकता प्राप्त नहीं करेगा :

परंतु जहां सेवा में प्रवेश करने की तारीख समान है, वहां पहले सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक पर पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी :

परंतु यह और कि अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) से भिन्न सभी अन्य सेवाओं के संबंध में आवेदकों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उन्हें तैनात किए जाने और सेवा या बैच पर ध्यान न देते हुए भारत सरकार में उनके प्रवेश की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

(च) टाइप V और ऊपर के आवासों के लिए हकदार आवेदक, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा कोई आवास टाइप IV विशेष आवास से निम्न नहीं होगा, अपनी हकदारी से निम्न आवास हेतु आवेदन करने के लिए भी पात्र होगा :

परंतु टाइप V-ए[डी II] और टाइप IV(स्पै.) के लिए पात्र आवेदक टाइप IV आवास के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे :

परंतु यह और कि जहां टाइप V और टाइप VI आवास को, यथास्थिति, टाइप VIए और टाइप VIबी या टाइप VIए और टाइप VIबी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, वहां टाइप V और टाइप VI आवास के लिए सभी आवेदकों को उनके संबद्ध टाइपों में एकसाथ समूहबद्ध किया जाएगा।

(4) व्यैक्तिक वेतन को प्रतिक्षा सूची में परस्पर-ज्येष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जाएगा।

(5) प्रैक्टिसबंदी भत्ते, सेना सेवा वेतन या वेतन के ऐसे किसी अन्य संघटक को प्रतिक्षा सूची में परस्पर-ज्येष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार नहीं में लिया जाएगा।

[फा. सं. 12035/4/2014-नीति.II]

धर्मेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 1330, तारीख 11 मई, 1963 को प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

1	का.आ.1607, तारीख 24 अप्रैल, 1982	17	सा.का.नि.27, तारीख 13 जनवरी, 2001
2	का.आ.4202, तारीख 18 दिसम्बर, 1982	18	सा.का.नि.346, तारीख 23 जून, 2001
3	सा.का.नि.159, तारीख 19 फरवरी, 1983	19	सा.का.नि.528(अ), तारीख 13 जुलाई, 2001
4	का.आ.2085, तारीख 11 मई, 1985	20	सा.का.नि.52, तारीख 1 फरवरी, 2003
5	का.आ.666, तारीख 22 फरवरी, 1986	21	सा.का.नि.182, तारीख 26 अप्रैल, 2003
6	सा.का.नि.530, तारीख 11 जुलाई, 1987	22	सा.का.नि.20, तारीख 3 फरवरी, 2009
7	सा.का.नि.796, तारीख 24 अक्टूबर, 1987	23	सा.का.नि.128, तारीख 21 अगस्त, 2009
8	सा.का.नि.265, तारीख 30 मई, 1992	24	सा.का.नि.41, तारीख 5-11, फरवरी, 2012
9	सा.का.नि.150, तारीख 26 मार्च, 1994	25	सा.का.नि.263(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2013
10	सा.का.नि.447, तारीख 3 सितम्बर, 1994	26	सा.का.नि.444(अ), तारीख 28 जून, 2013
11	सा.का.नि.454, तारीख 14 अक्टूबर, 1995	27	सा.का.नि.685(अ), तारीख 14, अक्टूबर, 2013
12	सा.का.नि.542, तारीख 30 नवम्बर, 1996	28	सा.का.नि.768(अ), तारीख 28.11.2013
13	सा.का.नि.58(अ), तारीख 28 जनवरी, 1998	29	सा.का.नि.49, तारीख फरवरी 23-मार्च 1, 2014
14	सा.का.नि.287(अ), तारीख 1 जून, 1998	30	सा.का.नि.737(अ), तारीख 21.10.2014
15	सा.का.नि.225, तारीख 12 नवम्बर, 1998	31	सा.का.नि.112, तारीख 10.06.2015
16	सा.का.नि.239, तारीख 21 जुलाई, 1999	32	सा.का.नि.136 तारीख 24.07.2015

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2016

G.S.R 1098(E).—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following further amendments to the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963, namely :-

- (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963, (hereinafter referred to as the said rules), for supplementary rule SR 317-B-5, the following rule shall be substituted, namely:—

S.R. 317-B-5 Classification of residences.—(1) Save as otherwise provided in these rules, an applicant shall be eligible for allotment of residence of the type as shown in column(1) as per the level in the pay matrix specified in the corresponding column(3), in the table below:-

TABLE

Type of Residences (1)	Existing Grade Pay/Basic Pay (2)	Level in the pay matrix (3)
I	Rs.1300, Rs.1400, Rs.1600, Rs.1650 and Rs.1800	1
II	Rs.1900, Rs.2000, Rs.2400 and Rs.2800	2, 3, 4, 5
III	Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	6, 7, 8
IV	Rs.5400 to Rs.6600	9, 10,11
IV(S)	Rs.6600	11
VA [D II]	Rs.7600 and Rs.8000	12
V-B [D I]	Rs.8700 and Rs.8900	13, 13A
VI A[C II]	Rs.10,000	14
VI B [C I]	Rs.67000 to Rs.74999	15
VII	Rs.75000 to 79999	16
VIII	Rs.80000 and above	17, 18

(2) Save as otherwise provided in these rules, an allottee shall be eligible for allotment of hostel accommodation as shown in column(1) as per the level in the pay matrix specified in the corresponding column(3), in the table below:-

TABLE

Type of hostels (1)	Existing Grade pay/pay scale (2)	Level in the pay matrix (3)
Single suite (without kitchen)	Rs. 4200 and above	Level 6 and above
Single suite (with kitchen)	Rs. 4200 and above	Level 6 and above
Double suite	Rs. 5400 and above	Level 9 and above
Working Girls Hostel	All lady employees without limit of emoluments shall be eligible	All lady employees without limit of emoluments shall be eligible

(3) The calculation of date of priority and preparation of waiting lists for different types of accommodations shall be as under:

- (a) The date of priority in respect of type I to type IV accommodation shall be determined on the basis of the date of joining of the employee in the Central Government service and the eligibility for the type of accommodation shall be decided as per their level of the applicant in the pay matrix:

Provided that an applicant under this category shall be allowed to bid for one type lower accommodation than the type eligible for such.

- (b) An applicant referred to in clause (a) above who has served continuously at a particular station for a period of five years shall, on each such completion of five years as on 1st January of the year, be given one year edge over and above his date of joining in the Central Government service, for the purpose of calculation of his date of priority in the waiting list.
- (c) The date of priority in respect of type IV(S) and above accommodation shall be determined on the basis of the date from which the applicant has been continuously eligible for the type of accommodation as per the level of the applicant in the pay matrix.

- (d) The inter-se seniority for the type IV(S) and above accommodation shall be considered on the basis of the following factors, namely:-
- (i) where the priority date of two or more applicants is the same, the applicant having a higher level pay in the level shall be senior in the waiting list;
 - (ii) where the date of priority and the pay in the level of two or more applicants are the same, the applicant who has joined the Central Government service earlier shall be senior in the waiting list; and
 - (iii) where the date of priority, pay in the level and the date of joining the Central Government service of two or more applicants are the same, the applicant retiring earlier may be accorded priority over the applicant retiring later.

- (e) The inter se seniority of applicants in the rank of Secretary and Additional Secretary to the Government of India shall be determined as per the civil list published for each service on the basis of their date of joining the Government of India at Delhi subject to the condition that no junior batch applicant of the same service or no junior applicant of the same batch and of same service shall get priority over his senior batch applicant or senior applicant in the same batch:

Provided that where the date of joining is the same, the applicant retiring earlier may be accorded priority over the officer retiring later:

Provided further that in respect of all other services other than the All India Services (AIS), the inter se seniority of applicants shall be determined on the basis of their date of joining the Government of India, irrespective of their place of posting and service or batch.

- (f) The applicants entitled for type V and above accommodation shall also be eligible to apply for accommodation below their entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below type IV Special accommodation:

Provided that the applicants eligible for type VA(D II) and Type IV (S) shall also be eligible to apply for type IV accommodation:

Provided further that where type V and type VI accommodation has not been classified as type VA and type VB or type VIA and type VIB, as the case may be, all eligible applicants for type V and type VI shall be grouped together in their respective types.

- (4) Personal Pay shall not be considered for the purposes of determining the inter-se seniority in the waiting list.
- (5) Non Practising Allowance, Military Service Pay or any other such component of pay shall not be considered for the purposes of determining the inter se seniority in the waiting list.

[F. No. 12035/4/2014-Pol.II]

DHARMENDRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide dated Notification number S.O. 1330, dated the 11th May, 1963 and subsequently amended vide the following notification numbers :

1	S.O. 1607, dated 24th April,1982	17	G.S.R. 27, dated 13th January, 2001
2	S.O. 4202, dated 18th December,1982	18	G.S.R. 346, dated 23rd June, 2001
3	G.S.R 159, dated 19th February, 1983	19	G.S.R. 528(E), dated 13th July, 2001
4	S.O. 2085, dated 11th May, 1985	20	G.S.R. 52, dated the 1st February, 2003
5	S.O. 666, dated 22nd February, 1986	21	G.S.R.182, dated 26th April, 2003

6	G.S.R. 530, dated 11th July, 1987	22	G.S.R. 20, dated 3rd February, 2009
7	G.S.R. 796, dated 24th October, 1987	23	G.S.R.128, dated 21st August, 2009
8	G.S.R. 265, dated 30th May, 1992	24	G.S.R. 41, dated 5-11, February, 2012
9	G.S.R. 150, dated 26th March, 1994	25	G.S.R. 263(E), dated 23rd April, 2013
10	G.S.R. 447, dated 3rd September, 1994	26	G.S.R.444(E), dated 28th June, 2013
11	G.S.R. 454, dated 14th October, 1995	27	G.S.R. 685(E), dated 14th October, 2013
12	G.S.R. 542, dated 30th November, 1996	28	G.S.R. 768(E), dated 28.11.2013
13	G.S.R. 58(E), dated 28th January, 1998	29	G.S.R. 49, dated February 23- March 1, 2014
14	G.S.R. 287(E), dated 1st June, 1998	30	G.S.R. 737(E) dated 21.10.2014
15	G.S.R. 225, dated the 12th November, 1998	31	G.S.R.112 dated 10.6.2015
16	G.S.R. 239, dated 21st July, 1999	32	G.S.R.136 dated 24.7.2015